प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 31.07.2025**

- **थाना रनियाँ पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका के साथ अश्लील हरकतें करते हुये उसके गुप्तांग से छेड़छाड़ की घटना कारित करने वाले 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना रनियाँ में पंजीकृत मु0अ0सं0 138/2025 धारा 65(2)/351(3) बीएनएस व 5(m)/6 पॉक्सो एक्ट में वांछित था अभियुक्त।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराध नियन्त्रण की दिशा में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 28.07.2025 को 07 बर्षीय नाबालिग बालिका के साथ अश्लील हरकतें करते हुये उसके गुप्तांग से छेड़छाड़ करने की घटना के सम्बन्ध में वादी श्री हेमन्त कुमार पान्डेय द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना रनियाँ पर दिनांक 29.07.2025 को मु0अ0सं0 138/2025 धारा 65(2)/351(3) बीएनएस व 5(m)/6 पॉक्सो एक्ट बनाम 1- रघुवीर कुशवाहा पुत्र ईश्वरी निवासी ग्राम परसौली, थाना रनियाँ, जनपद कानपुर देहात, संचालक महात्मा बुद्ध आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परसौली, थाना रनियाँ, जनपद कानपुर देहात पंजीकृत हुआ। पंजीकृत अभियोग की विवेचना में साक्ष्य संकलन के क्रम में अभियुक्त का सही नाम रघुवीर सिंह कुशवाहा पुत्र मिश्रीलाल निवासी ग्राम परसौली थाना रनियाँ कानपुर देहात प्रकाश में आया जो कि विद्यालय उपरोक्त के संचालक अवधेश कुशवाहा पुत्र ईश्वरी निवासी ग्राम परसौली, थाना रनियाँ, जनपद कानपुर देहात का भाई है। थाना रनियाँ पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 31.07.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रघुवीर सिंह कुशवाहा उपरोक्त को थाना क्षेत्रांतर्गत मैथा रनियाँ रोड ग्राम नारीखेत के सामने नहर बम्बा के पास बनी दुकान के बाहर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण -

रघुवीर सिंह कुशवाहा पुत्र मिश्रीलाल उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम परसौली थाना रनियाँ कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना रनियाँ पुलिस